



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 23 राँची, बुधवार, 18 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2022

संख्या-4/विविध-10-20/2018 का.7052--विभागीय अधिसूचना संख्या 6967 दिनांक 10.11.2022 द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के खूँटी एवं उलिहातू में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु खूँटी जिला में प्रतिनियुक्त झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री जीतेन्द्र कुमार देव (कोटि क्रमांक 808/03, गृह जिला- देवघर) एवं श्री प्रवीण केरकेट्टा (कोटि क्रमांक 127/20, गृह जिला- पू० सिंहभूम) को प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए उनके स्थान पर अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 13.11.2022 से 15.11.2022 तक के लिए खूँटी जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी नाम/कोटि क्रमांक/बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री सागर कुमार 40/20, गुमला (अनुमण्डल पदा० एवं समकक्ष कोटि) मो० नं०- 9431927652	विशेष दण्डाधिकारी, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची
2	मो० आबिद हुसैन 176/20, राँची (अनुमण्डल पदा० एवं समकक्ष कोटि) मो० नं०- 8757898292	अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि तक के लिए खूँटी जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, खूँटी के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, खूँटी के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, खूँटी द्वारा विरमित किये जाने के उपरांत अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
